

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2
संख्या- 902/71-2-2020-698 / 2020टी0सी0
लखनऊ: दिनांक 08 अप्रैल, 2020

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उ0प्र0 शासन।

कोविड-19 रोग के फैलाव के दृष्टिगत चिकित्सा अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या-548/पॉच-5-2020 लखनऊ दिनांक 14 मार्च, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 राज्य में कोविड-19 रोग के फैलाव के दृष्टिगत महामारी अधिनियम 1897 के अंतर्गत 'उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020' प्रख्यापित की गयी है।

2- उक्त विनियमावली द्वारा चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, समस्त प्रधानाचार्य राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0, मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों के अधीक्षक प्राधिकृत अधिकारी बनाये गये हैं।

3- उक्त के अतिरिक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन निम्नलिखित चिकित्सा विश्वविद्यालय/संस्थान/स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सम्मिलित हैं, जिनसे संबंधित अधिकारी को उक्त विनियमावली में प्राधिकृत अधिकारी के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है:-

क्र0	चिकित्सा विश्वविद्यालय
1.	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ
2.	उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा।
क्र0	चिकित्सा संस्थान
1.	संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
2.	डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
3.	सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं शैक्षणिक संस्थान, नोएडा।
4.	राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा
5.	सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ।
क्र0	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय
1.	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या।
2.	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बस्ती
3.	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच
4.	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद।
5.	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, शाहजहाँपुर।

4- अतः इस संबंध में अनुरोध है कि 'उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020' के अंतर्गत उक्त चिकित्सा विश्वविद्यालयों के कुलपति/कुलसचिव, संस्थानों के निदेशक एवं स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में सम्मिलित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(डा० रजनीश दुबे)

प्रमुख सचिव।

१०/०५/२०